न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 126 /2022

उनवान

मु0 जमीला बानू पत्नी नूर मोहम्मद कायमखानी निवासी प्रतापपुरा

– प्रर्थीया

बनाम

1– गोपाल पुत्र कल्याण बलाई निवासी प्रतापपुरा
2–3 आरिफ, ईमरान पुत्र गोरू खां कायमखानी निवासी प्रतापपुरा
4– नूरबानू पत्नी गोरू खां कायमखानी निवासी प्रतापपुरा
5–6 बोदू खां, रोशन खां पुत्र केशन खां कायमखानी निवासी प्रतापपुरा
7– मु0 शबानाबानू पुत्री गोरू खां कायमखानी निवासी प्रतापपुरा
8– ईरफान मुत्र लियाकत खां कामयखानी निवासी भीमपुरा तहसील बनेड़ा
9– जन्नत बानू पत्नी लियाकत खां कायमखानी निवासी भीमपुरा तहसील बनेड़ा
10–15 मुबारिक खां, मोहम्मद, रजियाबानू, हनीफ खां, हुसैन खां, आसिफ खां पिता लियाकत खां कायमखानी निवासी भीमपुरा तहसील बनेड़ा
16– तेजू पुत्र घीसू नाई निवासी प्रतापपुरा
17– मु0 दर्गा पत्नी घीसू नाई निवासी प्रतापपुरा
18–19 बबलू, माया पिता घीसू नाई निवासी प्रतापपुरा
20– रामराज पुत्र भंवर नाई निवासी प्रतापपुरा
21–22 राहलु, विशाल पिता भंवर नाई नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता कांता पत्नी भंवर नाई निवासी प्रतापपुरा
23– विनोद पुत्र भंवर नाई निवासी प्रतापपुरा
24– मु0 सीता पुत्री घीसू नाई निवासी प्रतापपुरा
25– मु0 कान्ता पत्नी भंवर नाई निवासी प्रतापपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री नमन ओझा
अधिवक्ता प्रर्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 30.08.2022

प्रर्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **प्रतापपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1182/27 रकबा 0.83 है0, 25 रकबा 0.32 है0** कुल किता **2** रकबा **1.15** हैक्टेयर की प्रर्थीया खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रर्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1, 5, 6, 8 लगायत 18 एवं 20 लगायत 25** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 2, 3, 4, 7,19** के विरूद्ध अभिभाषक प्रर्थीया के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रर्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम प्रतापपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रर्थीया के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः **प्रर्थीया** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **प्रतापपुरा** में स्थित प्रर्थीया की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् किता **2 रकबा 1.15 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रर्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **30.08.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा